(3)

व् अदालत् अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा।

पी0 ए0 केश नं0–04/2017–18
उज्जवल कुमार चन्द्र
बनाम्
रैयान मौजा–माल पथरगामा

28/08/18

—: आदेश :—

आवेदक उज्जवल कुमार चन्द्र, पे0–स्व0 श्रीकांत चन्द्र, सा0–तुलसीकित्ता, अंचल–पथरगामा, जिला–गोड्डा के आवेदन पर अंचल अधिकारी, पथरगामा के पत्रांक–359/रा0, दिनांक–07/06/2017 से जाँच–प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–माल पथरगामा के प्रधान शुदन चन्द्रर थे। आवेदक उज्जवल कुमार चन्द्र पूर्व प्रधान शुदन चन्द्रर के पोता है। इस मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए अन्य किसी के द्वारा आवेदन नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, पथरगामा ने आवेदक उज्जवल कुमार चन्द्र को मौजा–माल पथरगामा का प्रधान नियुक्त करने के लिए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा 06 के तहत् अनुशंसा किया गया है।

मौजा के सौलह आना रैयतों को आपत्ति हेतु नोटिश का तामिला कराया गया। कहीं से किसी प्रकार का कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि आवेदक मौजा के रैयतों को स्वीकार्य योग्य है।

अतः अंचल अधिकारी, पथरगामा के अनुशंसा के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा 06 के तहत् उत्तराधिकारी के आधार पर आवेदक उज्जवल कुमार चन्द्र, पे0–स्व0 श्रीकांत चन्द्र, सा0–तुलसीकित्ता, अंचल–पथरगामा, जिला–गोड्डा को मौजा–माल पथरगामा, थाना नं0–153 का प्रधान नियुक्त किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि एक साल का खजाना बतौर जमानत की राशि कोषागार में जमाकर चलान की प्रति के साथ कबूलियत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

(हस्ताक्षर) 28/08/18
अनुमंडल पदाधिकारी,
गोड्डा।

(हस्ताक्षर) 28/08/18
अनुमंडल पदाधिकारी,
गोड्डा।

2/08/19

नवनियुक्त प्रधान के द्वारा जमानत की राशि का कोषागार चालान की प्रति के साथ कबूलियत दाखिल किया गया है। पट्टा हस्ताक्षरित / निर्गत करें।

(हस्ताक्षर)
अनु. पदा.

उज्जवल कुमार चन्द्र

63
2.8.19